

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
113/2016

तारीख दायर
14/07/2016

तारीख फैसला
16/05/2024

1. गोपाल पुत्र सोन्या उर्फ सोहन लाल जाति हरियाणा ब्राहमण उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ब्रजमोहन पुत्र स्व० श्री हनुमान
2. धर्मन्द्र पुत्र स्व० हनुमान
3. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि स्व० श्री हनुमान
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासीयान - ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज०।
4. अशोक कुमार पुत्र श्री सोन्या उर्फ सोनी लाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज०।
5. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर बहैसियत प्रतिनिधि राज्य सरकार।
6. उप पंजियक महोदय, जमवारामगढ़, उपपंजीयक कार्यालय, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

उपस्थित अभिभावक

- श्री रामस्वरूप शर्मा :- वकील वादी।
श्री अरविन्द शर्मा :- वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 3
श्री राजेन्द्र जैन :- वकील प्रतिवादी सं० 4

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर०टी०एक्ट

:- निर्णय :-

वादी की ओर से एड० श्री रामस्वरूप शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नयाबास, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 76 रकबा 0.63 है०, खसरा नं० 174 रकबा 0.86 है०, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.70 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 है० भूमियां है। जिनका वादी संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 16.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। वकील प्रतिवादी सं० 4 अनु०। प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर उप० वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रैजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
1	अशोक कुमार पुत्र सोनीलाल हि० 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार, गोपाल लाल पुत्र सोनीलाल हि० 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा० खातेदार, नाबालिक धर्मेन्द्र पुत्र हनुमान सहाय सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेम हिस्सा 1/9 जाति हरि० ब्रा० सा०देह, प्रेम पत्नि स्व० हनुमान सहाय हि० 1/9 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार, नाबा० ब्रजमोहन पुत्र हनुमान सहाय सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेम हि० 1/9 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार	76	0.63	ब्रा० 2	2.92
		174	0.70	चाही 1	3.44
		179	0.86	बा०	20.06
		योग	किता 3	2.19	-

-: प्रस्तावित :-

क्र०सं० संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	अशोक कुमार पुत्र सोनीलाल हि० पूर्ण जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार,	76/1	0.2100	बा०2	-
		174/2	0.2333	चा० 1	-
		179/1	0.2767	बा०2	-
		योग	किता 3	0.7200	-
2	गोपाल लाल पुत्र सोनीलाल हि० पूर्ण जाति हरि० ब्रा० सा० खातेदार,	76/3	0.2100	बा०2	-
		174/1	0.2333	चा० 1	-
		179/2	0.2767	बा०2	-
		योग	किता 3	0.7200	-
3	प्रेम पत्नि स्व० हनुमान सहाय हि० 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार, नाबा० ब्रजमोहन पुत्र हनुमान सहाय सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेम देवी हि० 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार, नाबालिक धर्मेन्द्र पुत्र हनुमान सहाय सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेम हिस्सा 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा०देह,	76/2	0.2100	बा०2	-
		174/3	0.2333	चा० 1	-
		179/3	0.2767	बा०2	-
		योग	किता 3	0.7200	-
4	शामिलात	किता 1	179/4	0.0299	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इकितनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 उपपञ्च अधिकारी
 जमवारामगढ़

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

गोपाललाल

बनाम

ब्रजमोहन वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 113/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामस्वरूप शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी 1 ता 3 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मेदराजसिंहपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म .	लगान
1	अशोक कुमार पुत्र सोनीलाल हि० 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार, गोपाल लाल पुत्र सोनीलाल हि० 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा० खातेदार, नाबालिक धर्मेन्द पुत्र हनुमान सहाय सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेम हिस्सा 1/9 जाति हरि० ब्रा० सा०देह, प्रेम पत्नि स्व० हनुमान सहाय हि० 1/9 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार, नाबा० ब्रजमोहन पुत्र हनुमान सहाय सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेम हि० 1/9 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार	76 174 179	0.63 0.70 0.86	ब्रा० 2 चाही 1 बा०	2.92 3.44 20.06
	योग	किता 3	2.19	-	26.96

-: प्रस्तावित :-


क०सं० संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	अशोक कुमार पुत्र सोनीलाल हि० पूर्ण जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार,	76/1 174/2 179/1	0.2100 0.2333 0.2767	बा०2 चा० 1 बा०2	-
	योग	किता 3	0.7200	-	-
2	गोपाल लाल पुत्र सोनीलाल हि० पूर्ण जाति हरि० ब्रा० सा० खातेदार,	76/3 174/1 179/2	0.2100 0.2333 0.2767	बा०2 चा० 1 बा०2	-
	योग	किता 3	0.7200	-	-
3	प्रेम पत्नि स्व० हनुमान सहाय हि० 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार, नाबा० ब्रजमोहन पुत्र हनुमान सहाय सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेम देवी हि० 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा०देह खातेदार, नाबालिक धर्मेन्द पुत्र हनुमान सहाय सरंक्षक सरपरस्त माता प्रेम हिस्सा 1/3 जाति हरि० ब्रा० सा०देह,	76/2 174/3 179/3	0.2100 0.2333 0.2767	बा०2 चा० 1 बा०2	-
	योग	किता 3	0.7200	-	-
4	शामिलात	किता 1 179/4	0.0299	-	-

उप खण्ड अधिकारी


जमवारामगढ

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 16/05/2024 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
जमशेदपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		


उपखण्ड अधिकारी
जमशेदपुर